

20/11/26

पुत्रावली पत्र ३४) अतिवृत्त अतिवादी
द्वारा वाद पत्र के अपील को
पुत्रावली प्राप्त होने पर वादीक
की कोर्ट से कोई दायित्व नहीं है।
प्रार्थन पत्र ०२२ R 3 P C अतिवृत्त
अतिवादी इस वाद पत्र के
उपरोक्त की कृप्य होने की सूचना



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

जुम्हल की गई थी वही की कोर्ट से
वाद पर मे दाखिल नहीं है
एवम वाद पर मे वही
मूल्य देने के कारण कबले वाद पर
होने के कारण दाखिल हमत हु
निवेश किया गया है चूंकि वही
की कोर्ट से अन्य दाखिल नहीं है
एक पक्ष अधिवक्ता उत्तरवादी अर्थात्
पर पर चुकी गई परमावली का
अवलोकन किया गया वाद पर
मे चूंकि वही की मूल्य दे
गई है उसके वारीसान के संबंध
मे अधिवक्ता उत्तरवादी द्वारा कोई
वादा देना नहीं बताया है वाद पर
के हाजे भी कार्रवाई है वाद
पर कबले देने के कारण खास
योग्य है परमावली केवल देना
दाखिल हमत है